



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244008
CG-DL-E-01032023-244008

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944

No. 123]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

सा.का.नि. 159(अ).—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचनाओं जीएसआर सं 208(अ) तारीख 16.3.2022 तथा जीएसआर सं 300(अ) तारीख 18.04.2022 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोड़कर, केंद्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए एक सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) माननीय श्री न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा - अध्यक्ष
- (ii) माननीय श्री न्यायमूर्ति सुब्रामोनियम प्रसाद - सदस्य
- (iii) माननीय श्री न्यायमूर्ति जसमीत सिंह - सदस्य

2. यह अधिसूचना दिनांक 23 मार्च, 2023 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. यू-11016/01/2023-पीआईटीएनडीपीएस]

अरविंद कुमार मिश्रा, उप सचिव, (पीआईटीएनडीपीएस)

टिप्पणी : दिनांक 16.3.2022 की अधिसूचना जीएसआर में 208(अ) तथा जीएसआर सं 300(अ) को भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में 16.3.2022 और 18.4.2022 को प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

G.S.R. 159(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), and in supersession of the Notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, G.S.R. No. 208(E) dated 16.3.2022 and GSR No. 300(E) dated 18.04.2022 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board for a period of one year, consisting of:-

- | | | | |
|------|--|---|-------------|
| i) | Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Sachdeva | - | Chairperson |
| ii) | Hon'ble Mr. Justice Subramonium Prasad | - | Member |
| iii) | Hon'ble Mr. Justice Jasmeet Singh | - | Member |

2. This notification shall come into force with effect from 23rd March, 2023.

[F. No. U-11016/01/2023-PITNDPS]

ARVIND KUMAR MISHRA, Dy. Secy. (PITNDPS)

Footnote : The Notification G.S.R. No. 208 (E) dated 16.3.2022 and GSR No. 300 (E) dated 18.04.2022 were published in the Gazette Notification extra-ordinary, Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 16.3.2022 and 18.4.2022 respectively.